

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - श्री उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 03/2021  
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कन्हैया साई पुत्र श्री किरण कुमार जाति जाट साई उम्र 20 वर्ष निवासी 18 जी. जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)

....वादीगण

व नाम

1. किरण कुमार पुत्र कृपाराम जाति जाट साई उम्र 41 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
2. राधेराम पुत्र चानण राम जाति जाट साई उम्र 57 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
3. कृपाराम पुत्र चानण राम जाति जाट साई उम्र 63 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
4. विक्रम पुत्र राधेराम जाति जाट साई उम्र 37 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
5. विकास पुत्र राधेराम जाति जाट साई उम्र 40 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
6. अंगद कुमार पुत्र मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
7. श्रीमती सुशीला बेवा मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साई उम्र 49 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
8. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री बलकरण सिंह बराड़  
श्री रिछपाल सिंह  
राज पैरोकार

(वादी)  
(प्रतिवादी 1-7)  
(प्रतिवादी 8)

दिनांक 15 फरवरी, 2021

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के परदादा चानण राम के नाम से चक 18 जी जी में कृषि भूमि स्थित थी। वादी के परदादा चानण राम का अर्सा दराज पूर्व देहांत होने के बाद उसके नाम की कृषि भूमि वादी के दादा कृपा राम दादा के भाई राधेराम व मनु उर्फ अभिमन्यू के नाम से विरासतन दर्ज हुई जो पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। वादी किरण कुमार का एक मात्र पुत्र है जिसका किरण कुमार के नाम की कृषि भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार रखता है। जिसे वह अपने पिता किरण कुमार के जीवनकाल में ही प्राप्त करने का अधिकारी है। चक 18 जी जी के खाता संख्या 19/15 मुरब्बा न० 22 के किला न० 1/1 में 0.228 है० किला न० 1/2 में 0.0250 है० खाला किला न० 2 ता 5 सालम किला न० 8/1 में 0.0890 है० किला न० 9 सालम किला न० 10/1 में 0.228 है० किला न० 10/2 में 0.0250 खाला किला न० 11 में 0.228 है० किला न० 11/2 में 0.025 है० खाला, मु० न० 37 के किला न० 11 ता 15 सालम किला न० 16/1 में 0.219 है० मुरब्बा न० 38 के किला न० 2/2 में 0.127 है० किला न० 6/2 में 0.126 है० किला न० 7 ता 9 व 11 प्रत्येक सालम किला न० 12/1 में 0.201 है० कुल 5.0630 है० नहरी कृषि भूमि किरण कुमार प्रतिवादी संख्या 01, खाता संख्या 72/62 मु० न० 37 के किला न० 1 ता 10 प्रत्येक सालम कुल 2.530 है०, राधेराम प्रतिवादी संख्या 02, खाता संख्या 121/98 मु० न० 22 के



महायुक्त कलक्टर एवं  
कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

किला न० 06 में 0.253 है० किला न० 7 में 0.253 है० किला न० 8/2 में 0.164 है०  
 किला न० 12 ता 19 प्रत्येक सालम किला न० 20/2 में 0.203 है० किला न० 21/2 में 0.203 है० किला न० 21/3 में 0.025 है०  
 किला न० 22 ता 25 प्रत्येक सालम मु० न० 35 के किला न० 21/3 में 0.025 है०  
 न० 1/3 में 0.025 है० किला न० 2/1 में 0.228 है० किला न० 1/2 में 0.203 है० किला  
 न० 3/1 में 0.228 है० किला न० 3/2 में 0.025 है० किला न० 2/2 में 0.025 किला  
 किला न० 4/2 में 0.025 है० किला न० 5/1 में 0.228 है० किला न० 4/1 में 0.228 है०  
 है० किला न० 6 ता 09 प्रत्येक सालम किला 10/2 में 0.228 है० किला न० 5/2 में 0.025  
 0.228 है० किला न० 12 ता 19 प्रत्येक सालम किला न० 20/2 में 0.228 है० किला न० 11/2 में  
 न० 21/2 में 0.203 है० किला न० 22/2 में 0.228 है० किला न० 20/2 में 0.228 है० किला  
 सालम मु० न० 38 में किला न० 2/3 में 0.101 है० किला न० 23 ता 25 प्रत्येक  
 किला न० 6/1 में 0.127 है० कुल 11.299 है० किला न० 3 ता 5 प्रत्येक सालम  
 2480/11299 हिस्सा, किरण कुमार प्रतिवादी संख्या 01 का 634/11299 हिस्सा,  
 अंगद कुमार प्रतिवादी संख्या 06 का 4794/11299 हिस्सा व सुशीला देवी प्रतिवादी  
 संख्या 07 का 3391/11299 हिस्सा मुश्तरका खाता मे है खाता संख्या 88/75 मुरब्बा  
 न० 38 के किला न० 12/2 में 0.052 है० किला न० 13 ता 23 प्रत्येक सालम कुल  
 2.835 है० विकास प्रतिवादी संख्या 5 व खाता संख्या 89/76 के मुरब्बा न० 37 के  
 किला न० 16/2 में 0.034 है० किला न० 17 ता 25 प्रत्येक सालम मुरब्ब न० 38 के



नाम से नहरी कृषि भूमि मय खाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो पैतृक कृषि भूमि है।  
 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 नशे का आदि है व वादी से बिना वजह ही जगड़ा  
 करवा है और यह धमकी देता है कि मैं मेरे नाम की कृषि भूमि को आगे किसी व्यक्ति  
 को बेचान कर दूंगा इससे पूर्व भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि का सौदा  
 किसी अन्य व्यक्ति के हक में करवा दिया गया था जिसे रिश्तेदारों द्वारा बीच बचाव में  
 पड़कर सौदा को कौंसिल करवाया गया और उन्हीं रिश्तेदारों द्वारा पारिवारिक राजीनामा  
 के तहत वादी को चक 18 जी जी के मुरब्बा न० 22 के किला न० 1 ता 11 प्रत्येक  
 सालम व किला न० 12 में 5 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा  
 दिलवायी गयी जिस पर वादी का कब्जा काशत है जिसे वादी अपने हक में प्रतिवादी  
 संख्या 1 के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की घोषणा अपने हक में करवाने का अधिकारी  
 है। राजस्व अभिलेखों में पारिवारिक विभाजन के अनुसार कृषि भूमि वादी के नाम से  
 दर्ज नहीं होने के कारण वादी को किसी प्रकार का बैंक ऋण सुविधा राजकीय अनुदान  
 का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता इसलिए पारिवारिक विभाजन के अनुसार कृषि भूमि का  
 राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र  
 है इसलिए वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अपने हिस्सा तक की घोषणा करवाकर  
 किलावाईज बंटवारा कब्जानुसार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। वादी द्वारा  
 प्रतिवादीगण को दिनांक 25.12.2020 को वादी को प्राप्त पारिवारिक बंटवारा से कृषि  
 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नाम करवाने व किलावाईज कब्जानुसार बंटवारा करवाने का  
 कहा गया तो प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार हो गये यही वाद कारण वादी विरुद्ध  
 प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ है। अब वादी के पास सिवाय श्रीमान न्यायालय में वाद पत्र  
 पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं यही बिनाय मुखासमत वाद दायरी  
 का आधार है। वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होकर  
 उचित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद  
 निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

(क) वादी को चक 18 जी जी के मुरब्बा न० 22 के किला न० 1 ता 11 प्रत्येक  
 सालम व किला न० 12 में 5 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा  
 दिलवायी गयी जिस पर वादी का कब्जा काशत है जिसे वादी अपने हक में प्रतिवादी  
 संख्या 1 के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की घोषणा वादी के हक में की जाकर वादी को  
 खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं  
 कार्यापालक दण्डनायक  
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

(ख) वादी को मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 1 ता 11 प्रत्येक सालम व किला नं० 12 में 5 बिरवा का किलेवाईज बंअवारा कर अलग खाता दर्ज किया जाकर लगान कायम किये जाने के आदेश फरमावें।

(ग) अन्य अनुतोष जो वादी के हक में न्यायोचित प्रतीत हो वह वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दिनांक 25.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से इकवालिया जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी अधिवक्ता रिछपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इकवालिया जवाब दावा के तथ्यों के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 ता 7 के तथ्य स्वीकार है एवं वाद पत्र की मद संख्या 8 के तथ्य कानूनी है।

काउन्टर क्लेम के तथ्यों के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू खानदान के एक ही वंशज की संतान है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पास संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका पारिवारिक बंटवारा रिश्तेदारों एवं समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगणों की मौजूदगी में सबकी स्वतंत्र सहमति से किया जा चुका है जिसके अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण बिना किसी बाधा के बंटवारा में मिली अपनी अपनी कृषि भूमि पर काबिज है और कब्जानुसार ही अपना बंटवारा किलावाईज करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग अंकन करवाना चाहते है।

वादी को प्राप्त कृषि भूमि चक 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 1/1/0.228 है० नहरी 1/2/0.025 है० खासा 2 ता 5/1.012 है० नहरी 6, 7/0.506 है० नहरी 8, 9/0.506 है० नहरी 10/1/0.228 है० नहरी 10/2/0.025 है० खाला 11/1/0.228 है० नहरी 11/2/0.025 है० खाला 12/1/0.063 है० नहरी = 2.771 है० नहरी 0.075 है० खाला कुल 2.846 है० नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 किरण कुमार पुत्र कृपाराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 12/2/0.190 है० नहरी 13 ता 15/0.759 है० नहरी कुल 0.949 है० नहरी व मुरब्बा नं० 38 किला नं० 11 ता 15/1.265 है० नहरी 18 ता 20/0.759 है० नहरी कुल 2.024 है० नहरी दोनों मुरब्बों का कुल 2.973 है० नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 राधेराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 किला नं० 1 ता 10/2.530 है० नहरी कुल 2.530 है० नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है (पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिना परिवर्तन)।

प्रतिवादी संख्या 3 कृपाराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 16 ता 19/1.012 है० 20/2/0.203 है० 20/3/0.025 है० खाला 21/2/0.203 है० 21/3/0.025 है० खाला 22 ता 25/1.012 है० कुल 2.480 है० मय खाला नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है। उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 विक्रम पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 के किला नं० 11 ता 18/2.024 है० 23 ता 25/0.759 है० कुल 2.783 है० नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 विकास पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 के किला नं० 19 ता 22/1.012 है० कुल 1.012 है० नहरी व मुरब्बा नं० 38 किला नं० 16, 17/0.506 है० किला नं० 21 ता 25/1.265 है० कुल 1.771 है० नहरी दोनों मुरब्बों की कुल 2.783 है० नहरी कृषि भूमि कब्जा काशत में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 अंगद कुमार पुत्र मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 35 के किला नं० 1/2/0.

3/1/0.228 है 0 खाला 2/1/0.228 है 0 2/2/0.025 है 0 खाला  
 5/1/0.228 है 0 3/2/0.025 है 0 खाला 4/1/0.228 है 0 4/2/0.025 है 0 खाला  
 11/2/0.228 है 0 5/2/0.025 है 0 खाला 6 ता 9/1.012 है 0 10/2/0.228 है 0  
 20/2/0.228 है 0 12 ता 14/0.759 है 0 15/1/0.126 है 0 17 ता 19/0.759 है 0  
 कब्जा काश्त में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।  
 प्रतिवादी संख्या 7 सुशीला देवी पत्नी मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी  
 गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं 35 के किला नं 15/2/0.  
 127 है 0 16/0.253 है 0 22/2/0.228 है 0 23 ता 25/0.759 है 0 कुल 1.367 है 0 व  
 मुरब्बा नं 38 के किला नं 2/2/0.228 है 0 3 ता 5/0.759 है 0 कुल 1.999 है 0 व  
 9/0.759 है 0 कुल 1.999 है 0 दोनों मुरब्बों की कुल 3.366 है 0 नहरी कृषि भूमि कब्जा  
 काश्त में है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज किया जावे।  
 अतः इकबालिया जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद  
 पत्र स्वीकार कर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर  
 मुताबिक काउन्टर क्लेम कृषि भूमि का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने  
 के आदेश व डिक्री जारी की जावे।

दिनांक 08.02.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत जिसके अनुसार वाद पत्र  
 के बिन्दू संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। बिन्दू संख्या 3  
 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सीमा तक स्वीकार है। बिन्दू संख्या 8 कानूनी है। बिन्दू संख्या  
 9 वादी अपने परिवार में सदस्यों के हिस्से तक की हक प्राप्ति का अधिकारी है।  
 वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.02.2021 को साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया  
 गया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई जिस पर वादी द्वारा स्वीकार किया  
 गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम यदि स्वीकार किया  
 जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत  
 नहीं करने की टिप्पणी करते हुए आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर अंकित किये गये।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 18 जीजी  
 पटवार हल्का 18 जीजी भू-अभिलेख निरक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला  
 श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2072-2075 प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3, प्रदर्श-4,  
 प्रदर्श-5 का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19  
 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के  
 अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है,  
 मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक  
 समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया  
 संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ़  
 वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/इकबालिया जवाब दावा के आधार  
 पर वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं  
 प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है-

वादी कन्हैया साई पुत्र श्री किरण साई को चक 18 जीजी के मुरब्बा नं 22  
 के किला नं 1/1/0.228 है 0 नहरी 1/2/0.025 है 0 खाला 2 ता 5/1.012 है 0  
 नहरी 6, 7/0.506 है 0 नहरी 8, 9/0.506 है 0 नहरी 10/1/0.228 है 0 नहरी

सहायक क्लर्क एवं  
 कार्यापालक दण्डनायक  
 (सद. दे.क.) श्रीगंगानगर

11/2/0.025 है0 खाला 11/1/0.228 है0 नहरी 11/2/0.025 है0 खाला  
 11/1/0.063 है0 नहरी = 2.771 है0 नहरी 0.075 है0 खाला कुल 2.846 है0 नहरी  
 का भूमि खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 किरण कुमार पुत्र  
 जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को  
 नं0 22 के किला नं0 12/2/0.190 है0 नहरी 13 ता 15/0.759 है0 नहरी  
 नं0 0.949 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 38 किला नं0 11 ता 15/1.265 है0 नहरी 18 ता  
 0.759 है नहरी कुल 2.024 है0 नहरी दोनों मुरब्बों का कुल 2.973 है0 नहरी कृषि  
 प्रतिवादी संख्या 2 राधेराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18 जीजी  
 गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 37 किला नं0 1 ता 10/2.  
 530 है0 नहरी कुल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि (पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विना  
 परिवर्तन) का, प्रतिवादी संख्या 3 कृपाराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18  
 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 16  
 ता 19/1.012 है0 20/2/0.203 है0 20/3/0.025 है0 खाला 21/2/0.203 है0  
 21/3/0.025 है0 खाला 22 ता 25/1.012 है0 कुल 2.480 है0 मय खाला नहरी कृषि  
 भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 विक्रम पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी  
 गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 37 के किला नं0 11 ता  
 15/2.024 है0 23 ता 25/0.759 है0 कुल 2.783 है0 नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी  
 संख्या 5 विकास पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व  
 जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 37 के किला नं0 19 ता 22/1.012 है0 कुल 1.012  
 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 38 किला नं0 16, 17/0.506 है0 किला नं0 21 ता 25/1.265  
 है0 कुल 1.771 है0 नहरी दोनों मुरब्बों की कुल 2.783 है0 नहरी कृषि भूमि का,  
 प्रतिवादी संख्या 6 अंगद कुमार पुत्र मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी  
 गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 1/2/0.  
 203 है0 किला नं0 1/3/0.025 है0 खाला 2/1/0.228 है0 2/2/0.025 है0 खाला  
 3/1/0.228 है0 3/2/0.025 है0 खाला 4/1/0.228 है0 4/2/0.025 है0 खाला  
 5/1/0.228 है0 5/2/0.025 है0 खाला 6 ता 9/1.012 है0 10/2/0.228 है0  
 11/2/0.228 है0 12 ता 14/0.759 है0 15/1/0.126 है0 17 ता 19/0.759 है0  
 20/2/0.228 है0 21/2/0.203 है0 कुल 4.783 है0 मय खाला नहरी कृषि भूमि का,  
 प्रतिवादी संख्या 7 सुशीला देवी पत्नी मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी  
 गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 15/2/0.  
 127 है0 16/0.253 है0 22/2/0.228 है0 23 ता 25/0.759 है0 कुल 1.367 है0 व  
 मुरब्बा नं0 38 के किला नं0 2/2/0.228 है0 3 ता 5/0.759 है0 6/0.253 है0 7 ता  
 9/0.759 है0 कुल 1.999 है0 दोनों मुरब्बों की कुल 3.366 है0 नहरी कृषि भूमि का  
 खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि  
 नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें।  
 उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त  
 भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे  
 तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें  
 किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन  
 करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार  
 पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की  
 मुद्रा से आज दिनांक 15.02.2021 को जारी किया गया।

15/02/21  
 उम्मेद सिंह स्तनू  
 (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री  
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - श्री उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 03/2021

अन्तर्गत धारा 49,53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कन्हैया साईं पुत्र श्री किरण कुमार जाति जाट साईं उम्र 20 वर्ष निवासी 18 जी. जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)

....वादीगण

व न म

1. किरण कुमार पुत्र कृपाराम जाति जाट साईं उम्र 41 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
2. राधेराम पुत्र चानण राम जाति जाट साईं उम्र 57 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
3. कृपाराम पुत्र चानण राम जाति जाट साईं उम्र 63 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
4. विक्रम पुत्र राधेराम जाति जाट साईं उम्र 37 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
5. विकास पुत्र राधेराम जाति जाट साईं उम्र 40 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
6. अंगद कुमार पुत्र मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
7. श्रीमती सुशीला देवा मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साईं उम्र 49 वर्ष निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)
8. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर

...प्रतिवादीगण



उपस्थित- श्री बलकरण सिंह बराड़  
श्री रिछपाल सिंह  
राज पैरोकार

(वादी)  
(प्रतिवादी 1-7)  
(प्रतिवादी 8)

दिनांक 16 फरवरी, 2021

वादपत्र संख्या 03/2021

अन्तर्गत धारा 49,53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 अधिवक्ता श्री रिछपाल सिंह पैरोकार राज प्रतिवादी-7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी कन्हैया साईं पुत्र श्री किरण साईं को चक 18 जीजी के मुख्या नं० 22 के किला नं० 1/1/0.228 है० नहरी 1/2/0.025 है० खाला 2 ता 5/1.012 है० नहरी 6, 7/0.506 है० नहरी 8, 9/0.506 है० नहरी 10/1/0.228 है० नहरी 10/2/0.025 है० खाला 11/1/0.228 है० नहरी 11/2/0.025 है० खाला 12/1/0.063 है० नहरी = 2.771 है० नहरी 0.075 है० खाला कुल 2.846 है० नहरी कृषि का भूमि खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 किरण कुमार पुत्र कृपाराम जाति जाट साकिन 18 जीजी

महायुक्त कलक्टर एवं

गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 12/2/0.190 है० नहरी 13 ता 15/0.759 है० नहरी कुल 0.949 है० नहरी व मुरब्बा नं० 38 किला नं० 11 ता 15/1.265 है० नहरी 18 ता 20/0.759 है नहरी कुल 2.024 है० नहरी दोनों मुरब्बों का कुल 2.973 है० नहरी कृषि का, प्रतिवादी संख्या 2 राधेराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 किला नं० 1 ता 10/2.530 है० नहरी कुल 2.530 है० नहरी कृषि भूमि (पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिना परिवर्तन) का, प्रतिवादी संख्या 3 कृपाराम पुत्र चानण राम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 16 ता 19/1.012 है० 20/2/0.203 है० 20/3/0.025 है० खाला 21/2/0.203 है० 21/3/0.025 है० खाला 22 ता 25/1.012 है० कुल 2.480 है० मय खाला नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 विक्रम पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 के किला नं० 11 ता 18/2.024 है० 23 ता 25/0.759 है० कुल 2.783 है० नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी संख्या 5 विकास पुत्र राधेराम जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 37 के किला नं० 19 ता 22/1.012 है० कुल 1.012 है० नहरी व मुरब्बा नं० 38 किला नं० 16, 17/0.506 है० किला नं० 21 ता 25/1.265 है० कुल 1.771 है० नहरी दोनों मुरब्बों की कुल 2.783 है० नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी संख्या 6 अंगद कुमार पुत्र मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 35 के किला नं० 1/2/0.203 है० किला नं० 1/3/0.025 है० खाला 2/1/0.228 है० 2/2/0.025 है० खाला 3/1/0.228 है० 3/2/0.025 है० खाला 4/1/0.228 है० 4/2/0.025 है० खाला 5/1/0.228 है० 5/2/0.025 है० खाला 6 ता 9/1.012 है० 10/2/0.228 है० 11/2/0.228 है० 12 ता 14/0.759 है० 15/1/0.126 है० 17 ता 19/0.759 है० 20/2/0.228 है० 21/2/0.203 है० कुल 4.783 है० मय खाला नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी संख्या 7 सुशीला देवी पत्नी मनु उर्फ अभिमन्यू जाति जाट साकिन 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुरब्बा नं० 35 के किला नं० 15/2/0.127 है० 16/0.253 है० 22/2/0.228 है० 23 ता 25/0.759 है० कुल 1.367 है० व मुरब्बा नं० 38 के किला नं० 2/2/0.228 है० 3 ता 5/0.759 है० 6/0.253 है० 7 ता 9/0.759 है० कुल 1.999 है० दोनों मुरब्बों की कुल 3.366 है० नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य .....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुये व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 फरवरी, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू  
(आर.ए.एस.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीगंगानगर  
(फास्ट ट्रेक)